भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 186
उत्तर देने की तारीख: 02.08.2021

पुडुचेरी में केन्द्रीय विद्यालय

†*186. श्री वी.वैथिलिंगम:

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि::

(क) क्या सरकार का विचार पुडुचेरी में संघ राज्यक्षेत्र के लोगों की केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश की आकांक्षा के दृष्टिगत ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए पुडुचेरी के सभी क्षेत्रों में सिविल सेक्टर के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय (के.वी.) खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

"पुडुचेरी में केन्द्रीय विद्यालय '' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री वी.वैथिलिंगम द्वारा दिनांक 02.08.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 186 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): केन्द्रीय विद्यालय (केवि) क्षेत्र/जिला/ब्लॉक इत्यादि के बजाए केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) के मानदंडों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों, भूमि और अस्थायी आवास की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं।

वर्तमान में, संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी में 4 केवि अर्थात (**i**) केवि नं.1 जिपमेर कैम्पस (**ii**) केवि नं.2 पुडुचेरी (**iii**) केवि काराईकल (**iv**) केवि माहे कार्यरत हैं। केविसं को सिविल सेक्टर के अंतर्गत नये केवि खोले जाने के लिए संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी की ओर से निर्धारित प्रारूप में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नए केवि खोला जाना एक सतत प्रक्रिया है। केवि मुख्य रूप से रक्षा और अर्ध-सैन्य कर्मियों, केन्द्रीय स्वायत्त निकायों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केन्द्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (आईएचएल) सहित केन्द्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को एक समान शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करते हुए उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। नए केवि खोलने के प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाता है जब वे भारत सरकार/ राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र के मंत्रालयों या विभागों द्वारा प्रायोजित हों और नए केवि की स्थापना के लिए संसाधनों की प्रतिबद्धता हो। नए केवि खोले जाने हेतु विभिन्न प्रायोजक प्राधिकरणों से पूर्व अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने वाले प्राप्त प्रस्तावों को 'चुनौती पद्धति'' के तहत अन्य प्रस्तावों के साथ प्रतिस्पर्धा करती होती है और साथ ही वे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन होते हैं।

******